



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 2019/अग्रहायण 1, 1941

No. 369]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 2019/AGRAHAYANA 1, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशलय)

शुद्धिपत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2019

विषय: यूरोपीय संघ, कोरिया जनगण अथवा थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 1500 सीरीज और 1700 सीरीज के स्टाईरीन ब्यूटाडिन रबड़ के आयातों के संबंध में दिनांक 12.07.2017 की पाटनरोधी जांच के संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 14/10/2015- डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 के संबंध में, उसके निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध पाटनरोधी जांच के संबंध में अधिसूचना संख्या 14/10/2015- डीजीएडी दिनांक 8 नवंबर, 2019, के अनुसार संशोधन अधिसूचना जारी किए हैं।

अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/10/2015-डीजीएडी दिनांक 12.7.2017 के पैरा 97 के तहत शुल्क सारणी में क्रम संख्या 7 कॉलम संख्या 7, मद संख्या (i) में पद "देवू इंटरनेशनल कारपोरेशन" के स्थान पर "पोसको इंटरनेशनल कारपोरेशन" को प्रतिस्थापित करें।

सुनील कुमार, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIE)

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2019

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Styrene Butadiene Rubber of 1500 series and 1700 series originating, in or exported from European Union, Korea RP or Thailand dated 12/7/2017 Amendment thereof.

No. 14/10/2015-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, thereof, the Designated Authority has issued amendment notification vide Notification No. 14/10/2015-DGAD dated 8th November, 2019 in respect of subject Anti-dumping investigation.

Para 21 (a) of the aforesaid Notification is corrected to read as under:

In duty table under Para 97 of Final Finding No. 14/10/2015-DGAD dated 12.07.2017 substitute the words “POSCO INTERNATIONAL Corporation” in place of “Daewoo International Corporation” in S.No. 7 column No. 7 item No (i).

SUNIL KUMAR, Spl. Secy. & Designated Authority